



कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत
नीलामी के माध्यम से आवासीय/व्यवसायिक/स्कूल भूखण्ड प्राप्त करने
का स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण की तिथि 12.02.2019
से 21.02.2019 तक
नीलामी तिथि- 28.02.2019
स्थान-प्राधिकरण सभागार
समय 12:00 बजे

क्र.सं	योजना का नाम	रिक्त सम्पत्ति संख्या	अक्षरफल वर्गमी0 में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमी0	धरोहर राशि (अनु0 कीमत की 10%) (रु0)
01	नया मुरादाबाद सेक्टर-03	3D-53	135.00	13,000.00	1,75,500.00
02	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-55	241.65	13,000.00	3,14,500.00
03	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-34	243.00	13,000.00	3,16,000.00
04	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-108	203.04	13,000.00	2,64,000.00
05	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5C-14	335.00	13,000.00	4,35,500.00
06	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5C-60	244.25	13,000.00	3,18,000.00
07	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-52,5B-38,5B-40,5C-107, 5C-192	162.00	13,000.00	2,10,600.00
08	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-97	151.42	13000.00	1,97,000.00
09	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-381,5B-428,5B-315, 5B-125	72.00	13000.00	93,600.00
10	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-554,5B-557,5B-555, 5B-552	60.00	13,000.00	78,000.00
11	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6E-28	329.00	13000.00	4,27,700.00
12	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6E-39	265.54	13000.00	3,45,500.00
13	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6B-01 से 6 B-24 तक, B-27 ,28, से 6 B-42 तक, 6B-41, 6 B-90A, 6D-35, 6D-109, 6D-113, 6D-90B, 6D-35, 6C-74,6C-102	162.00	13,000.00	2,10,600.00
14	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6B-93,95,98	199.00	13,000.00	3,45,700.00
15	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6E-66	66.00	13,000.00	85,800.00
16	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	7B-71	222.00	13000.00	2,88,600.00
17	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	7C-229, 7C-239, 7A-74, 7A-77, 7C245 ,7A-61	162.00	13000.00	2,10,600.00
18	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	8B-530, 8C-356, 360, 419, 8A-63, 118, 261, 612, 418, 8B-195	162.00	13,000.00	2,10,600.00
19	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	8A-90,8C-426,427	135.00	13000.00	1,75,500.00
20	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	8C-233	72.00	13000.00	93,600.00
21	नया मुरादाबाद सेक्टर-10	10D-50	351.00	13000.00	4,56,300.00

22	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	14D-22	472.50	13000.00	6,14,500.00
23	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	14E-17	455.62	13000.00	5,92,500.00
24	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	14F-30	517.50	13000.00	6,73,000.00
25	सीतापुरी दस सराय	22,24,33,53,75	60.00	12,000.00	72,000.00
26	रामगंगा विहार द्वितीय	EWS PLOTS B-170 to B-175	40.00	25,000.00	1,00,000.00
27	आशियाना प्रथम	MIG PLOT-22	150.00	23,000.00	3,45,000.00
28	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-01	40.50	44,000.00	1,78,200.00
29	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-02	57.50	44,000.00	2,53,200.00
30	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-03	40.00	44,000.00	1,76,000.00
31	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-04	40.00	44,000.00	1,76,000.00
32	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-08	40.00	44,000.00	1,76,000.00

❖ नियम व शर्तें :-

(1) आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों के सम्बन्ध में नियम व शर्तों की पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय स्थित केनरा बैंक से प्राप्त की जा सकती है। (2) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राधिकरण में स्थित केनरा बैंक शाखा एम0डी0ए0 में जमा करना होगा तथा नीलामी बोली से एक दिन पूर्व दिनांक 27.02.2019 को सांय 5:00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय से टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (3) नीलामी की तिथि पर अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय व स्थल पर सम्पन्न की जायेगी। (4) भूखण्डों की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर, अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि 4 त्रैमासिक ब्याज रहित किरस्तों में अथवा 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 16 त्रैमासिक किरस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किरस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा। (5) आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटि के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर पंजिकरण धनराशि जब्त कर शेष धनराशि में से नियमानुसार कटौती उपरान्त वापस की जायेगी एवं व्यवसायिक भूखण्ड के आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटि के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। (6) भूखण्ड के कब्जे से पूर्व भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत प्रीहोल्ड एवं अन्य शुल्क जमा करना होगा तथा अनुबन्ध/विक्रय विलेख पत्र का निबन्धन कराना होगा। (7) यदि उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के बाद एक माह के अन्दर एक मुस्त जमा किया जाता है तो 2 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी। (8) बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय मु0वि0प्रा0 में निहित होगा। (9) भूखण्डों की योजना का ले-आऊट प्लान प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में इच्छुक अभ्यार्थी देख सकते हैं। (10) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष मु0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा। (11) समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। (12) सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान भूखण्डों के मूल्य के अतिरिक्त आवंटि को देना होगा। (13) रिक्त सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (14) अधिक जानकारी मु0वि0प्रा0, कार्यालय अथवा वेबसाईट www.mdamoradabad.org से प्राप्त की जा सकती है।

कनक त्रिपाठी
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष